रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 871] नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 17, 2013/चैत्र 27, 1935
No. 871] NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 17, 2013/CHAITRA 27, 1935

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 अप्रैल, 2013

का.आ. 986(अ).—केन्द्रीय सरकार न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा 26 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट (जिसे इसके बाद पोर्ट ट्रस्ट के रूप में संदर्भित किया जाएगा) के अंतर्गत पानी के जहाजों तटीय स्टेशनों तथा सर्वेक्षण दलों के रूप में कार्यरत कामगारों की सेवा शर्तों के संबंध में विशेष विनियमों को लागू करने के संदर्भ में एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13 एवं 14 के उपबंधों के बारे में निदेश देती है कि यह उक्त कामगारों पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन इस अधिनियम के सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से पांच वर्षों की अवधि के लिए निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन लागू नहीं होगा, अर्थात् :–

(i) पोर्ट ट्रस्ट उक्त विनियमों को पुस्तिका के रूप में हिन्दी एवं अंग्रेजी भाषाओं तथा उस भाषा अथवा अधिकांश कामगारों द्वारा समझे जाने वाली भाषा में प्रकाशित करेगा;

(ii) उपर्युक्त विनियमों में किसी प्रकार के संशोधन करने से पूर्व पोर्ट ट्रस्ट संबंधित कामगारों को प्रस्तावित संशोधनों के बारे में उक्त पोर्ट ट्रस्ट कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर नोटिस लगाकर सूचित करेगा और ऐसे नोटिस के 21 दिनों के भीतर प्रभावित होने वाले व्यक्तियों द्वारा इस संबंध में की गई किसी प्रकार की आपत्तियों अथवा सुझाव पर विचार करेगा;

(iii) उपर्युक्त शर्त (i) में संदर्भित पुस्तिका की एक प्रति तथा उसमें किए गए प्रत्येक संशोधन की एक प्रति प्रत्येक संबंधित कामगारों को पोर्ट ट्रस्ट द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी; तथा

(iv) पोर्ट ट्रस्ट प्रत्येक संबंधित कामगार के लिए एक वर्ष में कम से कम 52 विश्राम दिवस सुनिश्चित करेगा और इस संबंध में एक रजिस्टर का अनुरक्षण करेगा ।

[सं. एस-32014/1/2005-डब्ल्यू सी]

टी. के. बसु, उप-महानिदेशक